राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अजीतसिंह / रामरतन 300/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/2/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/09/2020 नियत की है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम आदेश जैर अपील को सीधे ही इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं ऐसी परिस्थिति में आदेश जैर अपील दिनांक 30/07/2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है। चूँकि इस न्यायालय के समक्ष दोनो पक्ष उपस्थित आ गये है अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क़) की पालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। उभयपक्षों को निर्देश दिए जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/02/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील निर्णित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/2/21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)